राजस्व प्रकरण संख्या–45/201

किशनलाल पिता दुर्गालाल जाति बारेठ ढोली उम्र बालिग निवासी आरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

..............वादी

बनाम

1. बनवारी माता लालीबाई नाबालिग बबिलायत बहिन सुनीता माता लालीबाई जाति बारेठ उम्र बालिग निवासी आरोली तह0 बिजौलिया
2. घनश्याम माता लालीबाई नाबालिग बबिलायत बहिन सुनीता माता लालीबाई जाति बारेठ उम्र बालिग निवासी आरोली तह0 बिजौलिया
3. रामकन्या माता लालीबाई नाबालिग बबिलायत बहिन सुनीता माता लालीबाई जाति बारेठ उम्र बालिग निवासी आरोली तह0 बिजौलिया
4. सुमन मांता लालीबाई नाबालिग बबिलायत बहिन सुनीता माता लालीबाई जाति बारेठ उम्र बालिग निवासी आरोली तह0 बिजौलिया
5. सुनीता माता लालीबाई जाति बारेठ उम्र बालिग निवासी आरोली तह0 बिजौलिया
6. श्रीमान तहसीलदार साहब बिजौलिया भूमिधारी तहसीलदार बिजौलिया

...........प्रतिवादीगण

उपस्थितः–कैलाशचन्द्र तम्बोली अधिवक्ता वादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टि0एक्ट0

दिनांक 19.06.2018

:–निर्णयः–

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है किवादी ने एक नियमत राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्व प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आरोली की आ.न.348 रकबा 1 बीघा 16 बीस्वा, आ.न. 349 रकबा 18 बीस्वा, आ.न. 350 रकबा 1 बीघा 18 बीस्वा, आ.न. 351 रकबा 1 बीघा 11 बीस्वा, आ.न. 359 रकबा 2 बीघा 18 बीस्वा, आ.न. 1027/267 रकबा 9 बीघा, आ.न. 1084/309 कुल किता 7 रकबा 23 बीघा 17 बीस्वा भूमि दुर्गालाल, पृथ्वीराज पिता छोगा बारैठ के नाम पर संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी, दुर्गालाल व पृथ्वीराज का देहान्त हो चुका है। तत्कालीन खातेदार पृथ्वीराज पिता छोगा बारेठ की सेवा चाकरी बरसों से वादी करता चला आ रहा है तथा पृथ्वीराज का देहान्त हो चुका है। पृथ्वीराज ने अपने जीवनकाल में अपनी कुलिया चल अचल सम्पति की 12.05.2008 को वादी के पक्ष में वसीयतनामा दो गवाहों की उपस्थिति में निष्पादित करवाया। क्योंकि पृथ्वीराज के कोई जायन्दा पुत्र नहीं होने की वजह से बरसों से सेवा चाकरी वादी करता चला आ रहा था तथा पृथ्वीराज ने प्रसन्न होकर यह वसीयतनामा वादी के पक्ष में पृथ्वीराज ने निष्पादित करवाया। उक्त विवादग्रस्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा होकर बरसों से काबिज होकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है तथा वादी ने हजारों रूपये की आर्थिक लागत लगाई है। तथा वादी मृतक पृथ्वीराज का सगा भतीजा है। पृथ्वीराज की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज का काज करियावर व अन्य सामाजिक रीतिरिवाज वादी द्वारा निष्पादित करवाये गये हैं। वादी को हाल में ही जानकारी हुयी है कि पृथ्वीराज की विरासत का नामान्तकरण लालीबाई के नाम दर्ज कर दिया गया एवं लाली बाई की 25.04.2011 को मृत्यु हो गयी है तथा लाली बाई की विरासत नामान्तकरण उनके लडके लडकियों में जो कि प्रतिवादीगण हैं , के नाम पर दर्ज कर दिया है जो गलत है। उक्त विवादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा पृथ्वीराज पिता छोगा की भूमि जरिये वसीयत के वादी के नाम पर दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है अन्यथा वादी को

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

वादी को उक्त वादपत्र पेश करने की नोबत पैदा हुई है। वादी ने अनुतोष चाहा कि–ग्राम आरोली में स्थित आ0न0 348, 349, 350, 351, 359, 1027, 259, 1084/309 किता 7 रकबा 23 बीघा 16 बीस्वा भूमि में से वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावे। वादी के 1/2 हक हिस्से में प्रतिवादीगण कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे, रोक–टोक नहीं करें, जबरन बेदखल नही करें । उक्त भूमि को खुर्द बुर्द, रहन विक्रय नहीं करें। विक्रयपत्र का पंजीयन नहीं करावे। इस आशय का स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

प्रतिवादीगण बावजूद सुचना गैर हाजिर रहने से एकपक्षिय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

वादी ने वादपत्र के साथ नकल जमाबंदी सम्वत् 2065 से 2068, फोटो पहचान पत्र, प्रमाण पत्र और वसीयतनामा प्रस्तुत की है।

प्रकरण एकपक्षिय होने से तनकीयात कायम नही की जाकर प्रकरण को शहादत वादी में रखा गया। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू 1 किशनलाल पिता दुर्गालाल बारेठ नि0 आरोली तहसील बिजौलियां के बयान करवाये गये।

बयान में लिखवाया कि ग्राम आरोली में हमारी पुश्तैनी भूमि 22–23 बीघा भूमि शामालाती खाते में मेरे पिता दुर्गालाल व उनके भाई पृथ्वीराज के नाम पर थी। पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई है। उनके एक पुत्री हुई ,वह भी मर गई है। इस पुत्री के पांच संतान पैदा हुई जो–सुनीता, रामकन्या , बनवारी, सुमन, घनश्याम हुये। दुर्गालाल शांत हो गये हैं। दुर्गालाल जी के सात संतानें जिनमें तीन लडके व चार लडकियां पैदा हुई। एक लडकी प्रेम बारेठ शांत हो गई है। दुर्गालाल के संतानों में सूरजमल, शांति, किशन, सोहनी, जमुनालाल, गोपाल हुए। मैं दुर्गालाल का हिस्सा नहीं चाहता हूं, पृथ्वीराज मेरे काका लगते हैं, उनकी सेवा चाकरी मैने की, पृथ्वीराज के मरने पर उनका सारा काम भी मैने किया, पृथ्वीराज ने कच्चे कागज पर वसीयत की लिखा–पढी मेरे नाम पर की, पृथ्वीराज के 1/2 हिस्से की भूमि वसीयत से मेरे नाम दर्ज की गई। कुल जमीन के 1/2 हिस्से सें आधा 1/4 हिस्से वसीयत के आधार पर मुझे दिया जावे। 1/4 हिस्सा पृथ्वीराज की संतानों के नाम पर दर्ज कर दिया जावें । मेरे को मेरे पिता के हिस्से की भूमि में से भी मेरा हिस्सा दिलाया जावे। इसके साथ ही मेरे काका पृथ्वीराज के हिस्से में से आने वाली भूमि में से भी 1/4 हिस्सा दिलाया जावे। मेरा दोनों के हिस्से की भूमि पर कब्जा है। मूल वसीयत मेरे पास है। मैने जमाबंदी की नकल पेश की है जो ई0एक्स0–1 है। मुझे मेरे पिता के हिस्से की भूमि व वसीयतनामे के आधार पर मिलने वाली भूमि मेरे नाम दर्ज की जावे। मूल वसीयतनामा वक्त बयान पेश किया जो ई0एक्स0–2 है।

साक्ष्यवादी में कोई अन्य दस्तावेज पेश नहीं करने से शहादतवादी बंद की जाती है।

विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

बहस में विद्वान अधिवक्ता वादी ने अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र किया कि ग्राम आरोली की आ.न.348 रकबा 1 बीघा 16 बीस्वा, आ.न. 349 रकबा 18 बीस्वा, आ.न. 350 रकबा 1 बीघा 18 बीस्वा, आ.न. 351 रकबा 1 बीघा 11 बीस्वा, आ.न. 359 रकबा 2 बीघा 18 बीस्वा, आ.न. 1027/267 रकबा 9 बीघा, आ.न. 1084/309 कुल किता 7 रकबा 23 बीघा 17 बीस्वा भूमि दुर्गालाल, पृथ्वीराज पिता

बीस्वा भूमि में से वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री कराना फरमावे। वादी के 1/2 हक हिस्से में प्रतिवादीगण कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे, रोक–टोक नहीं करें, जबरन बेदखल नही करें । उक्त भूमि को खुर्द बुर्द, रहन विक्रय नहीं करें। विक्रयपत्र का पंजीयन नहीं करावे। इस आशय का स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री भी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया ।

वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर ग्राम आरोली में स्थित आ0न0 348, 349, 350, 351, 359, 1027, 259, 1084/309 किता 7 रकबा 23 बीघा 16 बीस्वा भूमि में से वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की मांग की है। वादी ने शिविर के दौरान वसीयतनामा प्रस्तुत किया है। वादी के वादपत्र का मूल आधार वसीयतनामा है। वसीयत संदेह से परे नहीं है। वाद में प्रश्नगत भूमि पैतृक है या पृथ्वीराज पुत्र छोगालाल की स्व–अर्जित है ,इसको वादी द्वारा सिद्ध नहीं किया गया। पृथ्वीराज पुत्र छोगालाल के वारिस के रूप में एक पुत्री है, यह तथ्य तथाकथित वसीयत में भी वर्णित है, पृथ्वीराज के देहान्त के बाद जरिये नामान्तरकरण उसकी पुत्री लालीबाई के नाम भूमि दर्ज की गई। नामान्तरकरण विधिक तौर पर सही खोला गया है वादपत्र में अंकित भूमि की स्थिति स्पष्ट करने का दायित्व वादी का है। वादी ने इस बाबत कोई स्वतंत्र गवाहो के बयान, वसीयतनामा मय अंकित साक्षीगणों के बयान नही करवाये है तथा प्रकरण 6 माह से शहादत वादी में ही चल रहा था। वादपत्र को पदर्श कराने का दायित्व वादी पर है वादी ने उक्त संबंध में ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है। अतः प्रस्तुत वादपत्र वादी खारिज योग्य है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टि0एक्ट खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 19.06.2018 को लिखवाया जाकर मजमे आम आरोली केम्प कोर्ट न्यायालय पर सुनाया गया।

19/06/18
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा
बिजौलिया
(केम्प आरोली)